को दी जाने वाली राजसहायता की राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी राजसहायता दी गई है;

(ग) क्या राजसहायता की बढ़ती हुई राशि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के तरीके में परिवर्तन करके निगम के व्यय पर अंकुश लगाने के लिए इस वर्ष कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार है:—

वर्ष	राजसहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
1987-88	2,000
1988-89	2,200
1989-90	2,476

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता का भुगतान करने के लिए 1990-91 के लिए बजट अनुमानों में 2,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम के राजसहायता बजट की समीक्षा करती रहती है। अनाजों की इक्रामिक लागत, जिसमें वसूली मूल्य, वसूली प्रासंगिक खर्चे, वितरण संबंधी प्रासंगिक खर्चे आदि शामिल होते हैं, बढ़ती जा रही है जबकि खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य अपेक्षाकृत कम दरों पर रखे गए हैं ताकि आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध किए जा सकें। इसके परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों की इक्रामिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच अंतर बढ़ रहा है जिसके फलस्वरूप राजसहायता में वृद्धि हुई है। तथापि, राजसहायता में वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम अपनी परिचालन लागत में कमी करने के लिए निरंतर पग उठा रहा है।

कीटनाशी अधिनियम का संशोधन

594. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कीटनाशी अधिनियम में कुछ संशोधन करने का विचार कर रही है; यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पेस्टीसाइड फार्मूलेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने इन संशोधनों का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो एसोसिएशन ने इन संशोधनों के विरोध स्वरूप मुख्य रूप से कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं; और

(घ) क्या सरकार अब इन प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करेगी?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) कीटनाशक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। रजिस्ट्रेशन समिति, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और कीटनाशक उद्योग के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में कतिपय व्यावहारिक विचारों पर विचार-विमर्श किया गया। अधिनियम के जिन क्षेत्रों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, उनका पता लगाया जा रहा है ताकि संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया जा सके।

(ख) से (घ) भारतीय कीटनाशी निरूपक संघ मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 9(4) में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अपना विरोध प्रकट किया है। इससे आवेदक को धारा 9(3) के अंतर्गत देश में एक बार अपना उत्पाद पंजीकृत कराने के पश्चात दुबारा सरलतापूर्वक पंजीकरण कराने की अनुमति मिल जाती है। तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों का एक बार पजीकरण हो जाने के बाद पांच साल के लिये इस सुविधा को तब तक बंद रखने का प्रस्ताव किया गया था जब तक आवेदक धारा 9(3) के तहत उत्पादन नहीं करता है और अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता है या पहले पंजीकर्ता से प्राधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है। सरकार अधिनियम मे संशोधन के लिये प्रस्तावित अन्य विषय के साथ-साथ इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है।